

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक :- 2407 / 14-1
सेवामें,

एटा : दिनांक : 04 . 05 , 2016.

प्रबन्धक रिटेल सेल्स
इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०
एटा सेल्स एरिया एटा।

विषय :- जनपद एटा में टूण्डला-एटा मार्ग (एस.एच.-31) कि०मी० चैनेज 40.516 की दांयी पटरी पर ग्राम नावली के खसरा संख्या 298स में विकसित किये जा रहे इण्डियन आयल कार्पो० लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0773 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासन का पत्रांक संख्या पी-68/14-2-2016-800(68)/2016 दिनांक 29.04.2016
महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है। इन शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभाग स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित की जानी है।

अतः आप निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या से सम्बन्धित अभिलेखों को 4 प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. बिन्दु संख्या 1 से 6 तक
2. बिन्दु संख्या 7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.0773 है० की एन.पी.वी. रू० 62,072/- (रू० बासठ हजार वाहत्तर मात्र) की धनराशि Compenstory Afforestation Fund CAF saving A/c No. 037100101025230 Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi के नाम केवल e-payment portal के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराये।
3. बिन्दु संख्या 9 से 26 व 28
4. बिन्दु संख्या 27 के अनुपालन में वृक्षारोपण हेतु 100 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण पौधों की सुरक्षा सहित रू० 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) की धनराशि Compenstory Afforestation Fund CAF saving A/c No. 037100101025230 Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi के नाम केवल e-payment portal के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराये।

भवदीय
(सेम्मारन एम०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक :- / 14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।

(सेम्मारन एम०)
प्रभागीय निदेशक